5017
पत्रांक /आयु0क0उत्तरा0/वाणि0कर/आई0टी0अनु0/ ट्रांजिट–पास/2012–13/देहरादून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(आई0टी0–अनु0)
देहरादून : दिनांक 28 फरवरी, 2013

–:: विज्ञप्ति ::–

(उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम–2005 की धारा–50 के अन्तर्गत "ट्रांजिट–पास" तैयार करने, submit करने व यूटिलाइज करने की प्रकिया के सम्बन्ध में)

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01.03.2013 से प्रभावी विधिक व्यवस्था के अन्तर्गत, राज्य के बाहर से आने वाले माल से सम्बन्धित ऐसे वाहन, जिसे कि राज्य के अन्दर होते हुए राज्य की सीमा से बाहर जाना है, के चालक/ट्रांसपोर्टर/वाहन स्वामी के द्वारा प्रान्त में प्रवेश करने से पूर्व निर्धारित प्रारूप में माल की घोषणा ट्रांजिट–पास के माध्यम से ऑन–लाईन करना एंव प्रान्त की सीमा से बाहर जाने के पश्चात उक्त ट्रान्जिट पास के यूटिलाइजेशन की ऑन–लाईन सूचना देना अनिवार्य है। माल के परिवहन के समय वाहन चालक/ट्रांस्पोर्टर/वाहन स्वामी को ट्रांजिट–पास व इसके एनैक्सर की दो प्रतियां रखना अनिवार्य होगा। ट्रान्जिट पास बनाने तथा उक्त ट्रान्जिट पास को यूटिलाइज करने हेतु "Trip sheet/Transit Pass" नाम से लिंक, वाणिज्य कर विभाग की वैबसाईट पर लॉन्च कर दिया गया है जिसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार है :–

1- ट्रांजिट–पास बनाने हेतु सर्वप्रथम विभागीय वेबसाइट comtax.uk.gov.in पर click करें।
2- इसके उपरान्त Tripsheet/Transit Pass के link पर click करें।
3- Vehicle Registration, link पर जाकर अपने वाहन का पंजीयन करें।
(Note:- ज्ञात हो कि Vehicle Registration अनिवार्य है जो सिर्फ एक बार कराना है।)
4- Vehicle Registration के उपरान्त Generation and Submission of Transit Pass के विकल्प पर जाएं।
5- Transit Pass Generate करने की दो प्रक्रियायें है Online तथा Offline, आवश्यक्तानुसार अपने link का चयन करें।
6- यदि माल के परिवहन के दौरान वाहन में खराबी या किसी अन्य कारण से माल को किसी दूसरे वाहन में लोड करते हुए आगे परिवहन किया जाना है तो उक्त माल से सम्बन्धित नये वाहन की सूचना को अनिवार्य रूप से अपडेट करने हेतु अपने नजदीक के सचल दल इकाई से सम्पर्क करें। जहॉ पूर्व में जारी ट्राजिंट पास में नये वाहन से सम्बन्धित सूचनाएं अंकित की जा सकेगीं(यह ध्यान रहे कि उक्त ट्रांजिट पास को यूटिलाइज करते समय बाद के वाहन की सूचनाएं डालकर ट्रांजिट पास को यूटिलाइज किया जाएगा)।

<u>Online प्रक्रिया</u> –

(a) सर्वप्रथम Generation and Submission of Transit Pass के विकल्प पर जाकर Generate Transit Pass Online के विकल्प पर click करने के पश्चात विभागीय link पर रजिस्टर्ड वाहन न0 एवं चेसिस नं0 को अंकित करें। इसके उपरान्त Submit पर click करें।
(b) इसके उपरान्त Application for Generation of Transit Pass के अन्तर्गत निर्धारित कॉलम में वांछित सूचनाओं को भरें। तत्पश्चात Generate Transit Pass पर click करके Transit Pass no. प्राप्त करें। उक्त प्रक्रिया में Goods Movement Detail का पेज खुलने के उपरान्त वांछित सुचनाओं को भरे। तत्पश्चात Save Detail पर click करे।
(c) Goods Movement Detail के अन्तर्गत एक से अधिक जी0आर0 तथा एक जी0आर0 पर एक से अधिक इन्वोइस के विवरण दर्ज करने हेतु add another की सुविधा उपलब्ध है।

(d) consignee व consignor के सम्बन्धित राज्यों के वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत होने की दशा में कमश Registered पर click करें तथा TIN अंकित करें अन्यथा Unregistered पर click करें।

(e) उक्त के उपरान्त "Save Detail" पर click करें। इसके पश्चात Transit Pass Generate करने के दौरान Preview Transit Pass पर click करे। इसके उपरान्त Transit Pass की जांच करें तथा आवश्यक परिवर्तन हेतु Modify Transit Pass पर click कर Transit Pass में संशोधन करे एवं update पर click करें। अब Final submit के उपरान्त Generate Transit Pass पर click कर प्रिन्ट प्राप्त करे। प्रिंट के रूप में Transit Pass व उसका annexure आयेगा जिसका दो प्रतियों में प्रिंट लेना आवश्यक है।

Offline हेतु प्रक्रिया :–

(a) दिये गये विभागीय वैबसाईट "comtax.uk.gov.in"पर click करें।

(b) इसके पश्चात् Generation and Submission transit pass के विकल्प पर जाएं ।

(c) इसके पश्चात् Download Transit Pass Offline पर click कर Transit Pass का प्रारूप प्राप्त करे।

(d) प्राप्त प्रारूप में वाहन, वाहन चालक व परिवहन से सम्बन्धित विवरण दर्ज कर Enter Detail पर क्लिक करने के पश्चात Goods in movement details के प्रारूप को भरकर Finish पर क्लिक करें ।

(e) इसके पश्चात Validate & Generate XML पर क्लिक कर XML फाईल को save कर लें।

(f) इसके पश्चात् मुख्य पेज पर जाकर Generation and Submission Transit pass के विकल्प पर जा कर Upload Transit Pass Offline पर click कर रजिस्टर्ड वाहन न0 एवं चेसिस नं0 को भरें।

(g) उक्त के पश्चात निर्धारित स्थान पर Save किये गये XML File को Browse करके अपलोड करें।

(h) इसके पश्चात् ट्रान्जिट पास व Annexure का प्रिंट प्राप्त कर लें।

Transit pass utilize करने हेतु प्रक्रिया :–

(i) Transit Pass को Utilize करने हेतु सर्वप्रथम विभागीय बेबसाईट "comtax.uk.gov.in"पर click करें।

(j) इसके पश्चात् Generation and Submission transit pass के लिंक पर जाएं।

(k) जहां पर Utilize Transit pass Online पर click करें ।

(l) इसके पश्चात Transit pass को Utilize करने हेतु दिये गये निर्धारित प्रारूप में वांछित सूचनाओं को भरें। (निर्धारित प्रारूप में वही सूचनाएं आयेंगी जो उक्त ट्रान्जिट पास में उल्लिखित होंगी)

(m) सूचनाओं को भरने के उपरान्त Utilize पर click कर Transit pass को utilize करें।

(n) Transit pass को utilize करने सम्बन्धी प्रिन्ट की प्रति प्राप्त करें ।

(सौजन्या)
आयुक्त कर
उत्तराखण्ड

5017

पृ0प0सं0 /दिनॉक उक्त। दि0 -28/2/13

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
02. सलाहकार कर, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
03. महालेखाकार, उत्तराखंड वैभव पैलेस इन्द्रानगर,देहरादून।
04. एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,गढ़वाल जोन देहरादून/कुमायूँ जोन,रूद्रपुर।
05. एडिशनल कमिश्नर (आडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर,मुख्यालय देहरादून।
06. समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त कार्यालय ज्ञाप की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/ व्यापारी संगठनो के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
07. ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर,देहरादून/हल्द्वानी।
08. ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर,हरिद्वार/रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
09. डा0 सुनीता पाण्डे, महासचिव, उत्तराखण्ड वाणिज्य कर सेवा संघ, वाणिज्य कर कार्यालय, देहरादून।
10. श्री रोशन लाल, डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–3, वाणिज्य कर, देहरादून एवं Web- information officer को NIC एवं विभागीय website पर update करने हेतु।
11. डिप्टी कमिश्नर (उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, नैनीताल।
12. इन्स्टावैट ईन्फो प्रा0लि0 4, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13,आर0सिधुआ मार्ग मुम्बई–400001।
13. नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड,गाजियाबाद।
14. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राजनगर गाजियाबाद।
15 स्वास्तिक पब्लिकेशन एसई–233,शास्त्री नगर,गाजियाबाद,–201002
16. लॉ बुक ट्रेडर्स 10 नगर निगम कम्पाउण्ड केसर गंज रोड,मेरठ ।
17. अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
18. प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय क्वालिटी हार्डवेयर गॉधी रोड,देहरादून।
19. दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल नागलिया आटोमो0 त्यागी देहरादून।
20. प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड प्रदेश कार्यालय दीवान ट्रेडिंग कम्पनी, 81, मोती बाजार, देहरादून।
21 दी होलसेल डीलर्स एसो0 14,आढ़त बाजार देहरादून।
22 प्रांतीय इण्डस्ट्रीज एसों0 222/5 गॉधी ग्राम,देहरादून।
23. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
24 .मुख्यालय के समस्त अनुभाग।

आयुक्त, कर
उत्तराखण्ड।